राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर – 19,
नया रायपुर (छ.ग.)
ई-मेल: seiaacg@gmail.com

338

क्र. /एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./माईन/कांकेर/557 नया रायपुर, दिनांक 11/7/2017

प्रति,

मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
ग्राम–मेटाबोडली,
तहसील–पंखाजुर,
जिला–कांकेर (छ.ग.)

विषय :– कुल लीज क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर में क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर उत्खनन – 01 मिलियन टन / वर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में 150 टीपीएच क्षमता का क्रशर (प्राथमिक एवं द्वितीयक) तथा 250 टीपीएच क्षमता का डबल डेकर पॉवर स्क्रीन की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :– आपका आवेदन दिनांक 21/04/2017

––:: 00 ::––

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र दिनांक 21/04/2017 का अवलोकन हो।

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 17775/2016, यह आवेदन दिनांक 16/11/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/11/2016 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में टीओआर हेतु दिनांक 17/04/2015 को आयरन ओर उत्पादन क्षमता – 01 मिलियन टन / वर्ष के टीओआर बाबत् कुल एरिया 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना की कुल विनियोग रुपये 4.5 करोड़ है।

मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एलॉगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक बस्तर/लौह/खपो–465/नाग/2016/41–रायपुर दिनांक 24/08/2016 (अवधि 2017–18 से 2021–22 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2594 दिनांक 09/09/2015 के द्वारा उद्योग को बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/11/2016 को ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 64 दिनांक 17/04/2017 द्वारा लीज क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर में क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर उत्खनन – 01 मिलियन टन / वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपने पत्र दिनांक 21/04/2017 के माध्यम से 150 टीपीएच क्षमता का क्रशर (प्राथमिक एवं द्वितीयक) तथा 250 टीपीएच क्षमता का डबल डेकर पॉवर स्क्रीन स्थापित करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 224वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत फॉर्म–01, माईनिंग प्लान, ईआईए रिपोर्ट, लेण्ड एरिया स्टेटमेंट आदि में 150 टीपीएच क्षमता का क्रशर (प्राथमिक एवं द्वितीयक) तथा 250 टीपीएच क्षमता का डबल डेकर पॉवर स्क्रीन स्थापित करने हेतु प्रस्ताव / तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

प्रस्तावित 150 टीपीएच क्षमता का क्रशर (प्राथमिक एवं द्वितीयक) तथा 250 टीपीएच क्षमता का डबल डेकर पॉवर स्क्रीन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलिंग एवं फॉगिंग सिस्टम की व्यवस्था के साथ स्थापित किया जाना है, जिससे पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 64 दिनांक 17/04/2017 के द्वारा कुल लीज क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर में क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर उत्खनन – 01 मिलियन टन / वर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में 150 टीपीएच क्षमता का क्रशर (प्राथमिक एवं द्वितीयक) तथा 250 टीपीएच क्षमता का डबल डेकर पॉवर स्क्रीन की स्थापना करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने की अनुशंसा की गई:–

1. क्रशिंग युनिट (प्राथमिक एवं द्वितीयक) की क्षमता 150 टीपीएच एवं डबल डेकर पॉवर स्क्रीनिंग युनिट की क्षमता 250 टीपीएच से अधिक नहीं होगी।
2. क्रशिंग यूनिट एवं स्क्रीनिंग यूनिट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कलेक्टिंग हुड के साथ उपयुक्त क्षमता के बेग फिल्टर्स की स्थापना किया जावे। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग यूनिट के विभिन्न बिन्दुओं पर वाटर स्प्रिंकलिंग एवं फॉगिंग सिस्टम की स्थापना किया जावे तथा ग्रीन नेट से ढंका जावे।
3. क्रशिंग यूनिट एवं स्क्रीनिंग यूनिट एरिया में विन्ड ब्रेकिंग वॉल बनाया जावे।
4. यह सुनिश्चित किया जावे कि पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा किसी भी परिस्थिति में 50 मिलिग्राम / सामान्य घनमीटर से अधिक न हो।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये कुल लीज क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर में क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर उत्खनन – 01 मिलियन टन / वर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में 150 टीपीएच क्षमता का क्रशर (प्राथमिक एवं द्वितीयक) तथा 250 टीपीएच क्षमता का डबल डेकर पॉवर स्क्रीन की स्थापना करने हेतु पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 64 दिनांक 17/04/2017 के द्वारा कुल लीज क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर में क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर उत्खनन – 01 मिलियन टन / वर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय

स्वीकृति में 150 टीपीएच क्षमता का क्रशर (प्राथमिक एवं द्वितीयक) तथा 250 टीपीएच क्षमता का डबल डेकर पॉवर स्क्रीन की स्थापना करने हेतु संशोधन निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है:–

1. क्रशिंग युनिट (प्राथमिक एवं द्वितीयक) की क्षमता 150 टीपीएच एवं डबल डेकर पॉवर स्कीनिंग युनिट की क्षमता 250 टीपीएच से अधिक नहीं होगी।
2. क्रशिंग यूनिट एवं स्क्रीनिंग यूनिट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कलेक्टिंग हुड के साथ उपयुक्त क्षमता के बेग फिल्टर्स की स्थापना किया जावे। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग यूनिट के विभिन्न बिन्दुओं पर वाटर स्प्रिंकलिंग एवं फॉगिंग सिस्टम की स्थापना किया जावे तथा ग्रीन नेट से ढंका जावे।
3. क्रशिंग यूनिट एवं स्क्रीनिंग यूनिट एरिया में विन्ड ब्रेकिंग वॉल बनाया जावे।
4. यह सुनिश्चित किया जावे कि पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा किसी भी परिस्थिति में 50 मिलिग्राम / सामान्य घनमीटर से अधिक न हो।

पूर्व में पत्र क्रमांक 64 दिनांक 17/04/2017 के द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तें अपरिवर्तनीय, लागू एवं बंधनकारी होगी।

सदस्य सचिव
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
छत्तीसगढ़

पृ. क्र. /एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग./ माईन/कांकेर/557 रायपुर, दिनांक / /2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492001
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, सीबीडी–कम–ऑफिस काम्प्लेक्स, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली – 100 032
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवनए सेक्टर – 19, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विंग, द्वितीय मंजिल, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 100003
5. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू–तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र)
6. कलेक्टर, जिला – उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मडल, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
छत्तीसगढ़